

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी – श्री विनोद कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 8/2018

दायर तारीख: 09.04.2018

निर्णय दिनांक: 11.05.2018

न्याय आपके द्वार केम्प: खाण्डीओबरी

सुन्दरलाल पिता खोमजी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये

तहसीलदार खेरवाड़ा

:- धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवन्यू एक्ट 1956:-

उपरिस्थित:

वादी की ओर से :- सुन्दरलाल पिता खोमजी

प्रतिवादी की आरे से :- तहसीलदार खेरवाड़ा

:- निर्णय:-

वादी सुन्दरलाल पिता खोमजी निवासी खाण्डीओबरी निचलाफला तहसील खेरवाड़ा की ओर से दिनांक 09.04.2018 को यह वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 प्रस्तुत किया।

वाद पत्र के अनुसार राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2072 - 75.के खाता संख्या 60 में संयुक्त काश्तकार दिनेश, सोनजर, तारा, नवीन पिता खोमजी, कावली बेवा खोमजी के बजाय राजस्व रिकोर्ड में संयुक्त काश्तकार दिनेश, सुन्दरलाल, तारा, नवीन पिता खोमजी, कावली बेवा खोमजी निवासी निचलाफलां करवाने का प्रार्थना प्रस्तुत किया है।

आज आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 में वादी की मौजूदगी में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद से सम्बन्धित दस्तावेज यथा वादी का आधार कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत खाण्डीओबरी द्वारा प्रमाणीकरण, संयुक्त खातेदार नवीन पिता खोमजी, कावली बेवा खोमजी के बयान, पटवारी हल्का खाण्डीओबरी की रिपोर्ट एवं तहसीलदार खेरवाड़ा की रिपोर्ट में सोनजर के बजाय सुन्दरलाल किये जाने की अनुशंसा पेश की गई।

उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में वर्णित जमाबन्दी सम्वत् 2072-75.में संयुक्त खातेदार दिनेश, सोनजर, तारा, नवीन पिता खोमजी, कावली बेवा खोमजी के बजाय राजस्व रिकोर्ड में संयुक्त काश्तकार दिनेश, सुन्दरलाल, तारा, नवीन पिता खोमजी, कावली बेवा खोमजी निवासी निचलाफलां पटवार क्षेत्र खाण्डीओबरी की रिकार्ड शुद्धि कर अमल दरामद की कार्यवाही हेतु तहसीलदार खेरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प खाण्डीओबरी में सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

(विनोद कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

खेरवाड़ा